समाचार.प्रकाषनार्थरू.

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंदौर में गोबर धन प्लांट लोकार्पण कार्यक्रम रतलाम में भी देखा सुना गया

रतलाम 19 फरवरी । प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शनिवार को इंदौर में गोबर धन प्लांट लोकार्पण कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को रतलाम में भी देखा सुना गया इस अवसर पर पुराने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गुलाब चक्कर में उपस्थित जनों ने प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के उद्बोधन को देखा सुना।

इस दौरान विधायक रतलाम षहर माननीय श्री चैतन्य जी कश्यपए कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरुषोत्तमए निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारियाए पूर्व निगम अध्यक्ष श्री अशोक पोरवालए श्री मनोहर पोरवालए श्री कृष्ण कुमार सोनीए स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर श्रीमती दिव्या पाटीदारए उपायुक्त श्री विकास सोलंकीए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेश व्यासए सहायक यंत्री श्री श्याम सोनीए स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए पी सिंह नगर नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी आदि उपस्थित थे

कार्यक्रम के पूर्व आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता बच्चों को विधायक श्री चैतन्य काश्यप द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई

कचरा स्थल पाये जाने पर दरोगा और झोन प्रभारी पर होगी कार्यवाही

निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड पर्यवेक्षकों की ली बैठक

रतलाम 19 फरवरी । रतलाम नगर को साफ.स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों की बैठक निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने लेकर स्वच्छता के प्रत्येक क्षेत्र में लगन से कार्य करने के निर्देष दिये।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बैठक में निर्देषित किया कि षहर में कहीं भी कचरा स्थल ना हो इसकी सुनिष्चितता की जाये यदि हो तो तीन दिवस में

समाप्त कर समाप्त किये गये कचरा स्थल पर नियमित रूप से रांगोली बनाई जाये साथ ही नगर के प्रमुख चौराहोए प्रमुख स्थानों पर भी रांगोली बनाने के निर्देष दिये।

रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु मध्यप्रदेष प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रतिबंधित किये गये 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक ;प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्डए बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिकए प्लास्टिक झण्डेए कैंडी स्टिकए आईस्क्रीम स्टीकए सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोलए प्लास्टिक प्लेट्सए कपए ग्लासए फोर्कए चम्मचए चाकूए स्ट्राए टेª ए स्वीट बाक्सए निमंत्रण पत्रए सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्मए प्लास्टिक स्टिर्रस व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनरद्ध के रतलाम नगर में पूर्णतः प्रतिबंध की कार्यवाही के निर्देष निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में दिये।

आयोजित बैठक निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि नगर में ऐसे रिक्त प्लाट ;भूखण्डद्ध जिन पर कचरा व गंदगी एकत्रित हो रही है संबंधित प्लाट ;भूखण्डद्ध स्वामी पर 10 हजार की राषि का जुर्माना किये जाने की कार्यवाही की जाये। इसके अलावा निगम आयुक्त श्री झारिया ने एसटीपी में ट्रीटेड किये गये पानी से षहर के सार्वजनिक षौचालय व मूत्रालय की सफाई व धुलाई प्रतिदिन किये जाने के निर्देष संबंधित को दिये।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकीए कार्यपालन यंत्री सुरेषचन्द्र व्यासए प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री सत्यप्रकाष आचार्यए सहायक यंत्री श्री ष्याम सोनीए श्री एमण्केण जैनए श्री अरविन्द दषोत्तरए सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री एण्पीण सिंहए निज सहायक श्री सुभाश गोयलए उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडितए बीण्एलण चौधरीए राजेष पाटीदारए ब्रजेष कुषवाहए मनीश तिवारीए सुश्री दीक्षा निजामपुरकर सहित झोन प्रभारीए नियुक्त पर्यवेक्षक उपस्थित थे।

फुटकर विक्रेताओं से 8 किलो अमानक स्तर की पॉलीथीन जब्त की
100 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम 19 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक ;प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्डए बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिकए प्लास्टिक झण्डेए कैंडी स्टिकए आईस्क्रीम स्टीकए सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोलए प्लास्टिक प्लेट्सए कपए ग्लासए फोर्कए चम्मचए चाकूए स्ट्राए टेª ए स्वीट बाक्सए निमंत्रण पत्रए सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्मए प्लास्टिक स्टिर्रस व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनरद्ध के उपयोग को मध्यप्रदेष प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
अभियान के तहत राम मंदिर सब्जी मंडीए टीआईटी रोडए महू रोड बस स्टैण्ड से फुटकर विक्रेताओं से अमानक स्तर की 8 किलो पॉलीथीन जब्त कर भविश्य में पॉलीथीन उपयोग ना करने की समझाईष दी।
रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक ;पॉलीथीनद्ध निर्माताए भण्डारकर्ताए विक्रेताए दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ंना ही भण्डारणए विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छए सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

ष्वान पालकों को अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन अनिवार्य रूप से करायें

रजिस्ट्रेषन नहीं कराने पर संबंधित के विरूद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रतलाम 19 जनवरी । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में ष्वान पालते हैं वे अपने ष्वान का रजिस्टेª षन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस षाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत ष्वान पालकों द्वारा अपने ष्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा ष्वान की भांति छोड़ दिया जाा ह तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे ष्वानों एवं ष्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे ष्वान पालक जिन्होने अपने ष्वान का रजिस्टेषन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना.पत्र जारी किये जा रहे है रजिस्टेª षन नहीं कराने वाले ष्वान पालकों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ष्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस षाखा में प्रति ष्वान पंजीयन षुल्क रूपये 1000ध् एवं लायसेंस षुल्क रूपये 500ध् प्रति ष्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेेतु प्रतिवर्श 100ध् रूपये जमा कराना होगा। ष्वान पालकों को अधिकतम् 2 ष्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा ष्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस षाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने ष्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

खुले में गंदगी करने पर 4 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 19 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 19 फरवरी को 4 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गंदगी करने पर धन्नालाल जैन फ्रीगंज पर 1000ए सेन्ट्रल ऑटो मोबाईल फ्रीगंज पर 500ए दीपक करावेए विषाल सांखला राम मंदिर पर 250.250 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी ना करने की समझाईष दी।

20 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होगें सेवा से बर्खास्त

रतलाम 19 फरवरी । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 16 व दोपहर में 4 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तध्निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की षिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की षिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

19 फरवरी षनिवार को वार्डो मंे सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः झोन क्रमांक 1 में षांतिलाल.बाबुलालए षांतिबाई पति सुरेषए सुरेन्द्र.नेहरूए अजय.विनोदए झोन क्रमांक 2 मंे सरस्वती पति धनराजए बंटी.जगदीषए नरेन्द्र.पप्पूए राधाबाई

पति संजयए रमेष.मुंषीए सुषीलाबाई पति अर्जूनए सोनदीप.सुदेषए संगीताबाई पति हरीषए षकुन्तलाबाई पति अर्जूनए राहूल.राजूए झोन क्रमांक 3 में राजू.हीरालालए झोन क्रमांक 4 बॉबी.धर्मपालए दोपहर की उपस्थिति के दौरान झोन क्रमांक 1 में मीराबाई पति राजूए मोहन.मांगीलालए झोन क्रमांक 4 हरीष.प्रकाषए गुंजाबाई पति हरीष इस तरह 20 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तध्निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्तध्निलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

नगर निगम के विभिन्न करों से 6ण्53 लाख हुआ राजस्व प्राप्त

रतलाम 19 फरवरी । संपत्तिकरए जलकरए लायसेंसए राजस्वए विकास षाखाए बिल्डिंग परमिषन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 19 फरवरी षनिवार को कुल राषि रूपये 6ए53ए992ध्. का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 19 फरवरी षनिवार को संपत्तिकर षिविर से 233650ए कार्यालय 131110ए वसूली दल 203082 कुल 567442ए जलकर षिविर 82150ए स्पॉट फाईन 4000 इस तरह कुल राषि रूपये 6ए53ए992ध्. का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

बजाजखाना पर सोमवार को लगेगा निगम का बकाया वसूली षिविर

नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली षिविरो का आयोजन

नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 81ण्42 लाख व जलकर 20ण्18 लाख की बकाया राषि जमा कराई

रतलाम 19 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए **जलकर**ए **दुकान**ए **गुमटी किराया**ए **लायसेंस षुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू.भाटक की बकाया राषि जमा करा सकेगें।**

निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर 3ए28ए822रू. **व जलकर** 54ए850रू.ए **मालवा नगर लक्ष्मणपुरा षिविर में संपत्तिकर** 1ए62ए575रू. **व जलकर** 34ए520रू.ए **जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर** 3ए02ए013रू. **व जलकर** 63ए450रू.ए **विनोबा नगर षिविर में संपत्तिकर** 1ए85ए292रू. **व जलकर** 1ए19ए720रू.ए **अलकापुरी कम्युनिटी हॉल षिविर में संपत्तिकर** 3ए20ए857रू. **व जलकर** 62ए950रू.ए **तिरूपति नगर षिविर में संपत्तिकर** 1ए28ए977रू. **व जलकर** 28ए870रू.ए **कोमल नगर षिविर में संपत्तिकर** 2ए16ए000रू. **व जलकर** 14ए000रू.ए **इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास षिविर में संपत्तिकर** 2ए51ए600रू. **व जलकर** 1ए04ए640रू.ए **कस्तुरबा नगर षिविर में संपत्तिकर** 8ए61ए206रू. **व जलकर** 1ए21ए090रू.ए **प्रियदर्षनी नगर षिविर में संपत्तिकर** 2ए14ए000रू. **व जलकर** 47ए000रू.ए **डोंगरे नगर षिविर में संपत्तिकर** 2ए54ए422रू. **व जलकर** 83ए700रू.ए **हाट रोड षिविर में संपत्तिकर** 1ए71ए500रू. **व जलकर** 27ए540रू.ए **कलीमी कालोनी षिविर में संपत्तिकर** 1ए96ए281रू. **व जलकर** 40ए240रू.ए **राजेन्द्र नगर षिविर में संपत्तिकर** 1ए45ए000रू. **व जलकर** 31ए760रू.ए **काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर** 3ए36ए077रू. **व जलकर** 72ए440रू.ए **वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर** 98ए534रू. **व जलकर** 37ए465रू.ए **कल्याण नगर षिविर में संपत्तिकर** 87ए732रू. **व जलकर** 36ए660रू.ए **दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर** 2ए91ए455रू. **व जलकर** 92ए125रू.ए **बोहरा बाखल षिविर में संपत्तिकर** 4ए97ए298रू. **व जलकर** 64ए770रू.ए **रामगढ़ षिविर में संपत्तिकर** 1ए59ए241रू. **व जलकर** 28ए140रू.ए

लक्कड़पीठा षिविर में संपत्तिकर 6ए11ए920रू व जलकर 1ए56ए600रूए धानमण्डी षिविर में संपत्तिकर 3ए60ए338रू व जलकर 1ए67ए280रूए किरण टॉकिज षिविर में संपत्तिकर 3ए89ए541रू व जलकर 76ए625रूए आनन्द कालोनी षिविर में संपत्तिकर 1ए20ए807रू व जलकर 37ए520रूए प्रताप नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए91ए836रू व जलकर 72ए860रूए महावीर नगर षिविर में संपत्तिकर 87ए741रू व जलकर 37ए140रू पैलेस रोड षिविर में संपत्तिकर 2ए81ए036रू व जलकर 89ए570रूए चौगानिया भैरू मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 91ए157रू व जलकर 46ए510रूए सायर चबुतरा षिविर में संपत्तिकर 1ए62ए036रू व जलकर 1ए05ए060रूए चौमुखी पुल षिविर में संपत्तिकर 5ए20ए421रू व जलकर 1ए62ए610रू की राषि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25ए 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राषि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

19 फरवरी को 85 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 19 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे्रचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा

रहा है जिसके तहत 19 फरवरी षनिवार को 85 टन कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

19 फरवरी षनिवार को डम्पर से 27710ए टेª क्टर से 19550ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 19290ए काम्पेक्टर गीला कचरा 17315ए मैजिक सूखा 1140 व मैजिक गीला 765 किलो इस तरह कुल 85770 किलो कचरा जुलवानिया टेª चिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध

28 फरवरी तक प्रषमन षुल्क में दी जा रही 20 प्रतिषत छूट

रतलाम 19 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेष षासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध हेतु नियमों में संषोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है। रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।

कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति

या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध 28 फरवरी के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

3141 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए
स्वरोजगार ऋण से 112 हितग्राही हुए लाभान्वित
पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 19 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 2636 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000६ तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 205़ हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000६ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 107 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।
पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही
15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल

रतलाम 19 फरवरी । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 19 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 19 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 19 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्जण्संण्विण्ध्हेमन्तध्19ण्02ण्2022ध्नण्पाण्निगमए रतलामण